न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 59 / 2022

1 सीताराम पुत्र भींवाराम जाति जाट निवासी नानी तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मोहम्मद आमीन पुत्र ईस्माइल जाति व्यापारी मुसलमान निवासी नानी तहसील व जिला सीकर।
2 नारायण सिंह पुत्र भींवाराम।
3 सुरेन्द्र सिंह पुत्र फूलसिंह।
4 सुरेश कुमार पुत्र फूलसिंह समस्त जाति जाट निवासीगण नानी तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी
सीकर दिनांक 17.02.2022 अन्तर्गत धारा
225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री भागीरथमल जाखड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बनवारीलाल शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

—निर्णय—

दिनांकः—31-5-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 40/2022 में पारित निर्णय दिनांक 11.07.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने खेत खसरा नम्बर 733 से 736 में आवागमन के लिए रास्ता चाहने हेतु 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 4 के खेत खसरा नम्बर 732 तन नानी मे से रास्ता चाहने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था उक्त आवेदन पत्र को दिनांक 18.06.2022 को अपीलांट ने खारिज करवा लिया तथा फाइल दाखिल दफ्तर कर दी उसके कारण वकील अपीलांट फाईल को दाखिल दफ्तर मानकर उपस्थित नही हुये उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को नोटिस दिये आवेदन पत्र को पुनः नम्बर पर लेकर अपीलांट को सुने बगैर कानूनी प्रावधानों के विपरीत गलत आदेश पारित किया है। इससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी ने धारा 251 ए के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया था। दौराने सुनवाई दिनांक 22.06.2018 को आवेदक ने स्वयं ने आवेदन खारिज करवा लिया। विचारण न्यायालय ने पत्रावली दाखिल दफ्तर कर दी। विचारण न्यायालय ने अपीलांट को बिना कोई नोटिस दिये, बिना सुनवाई इस प्रार्थना पत्र को पुनः नम्बर पर ले लिया। विचारण न्यायालय की यह कार्यवाही विधिक प्रक्रिया के पूर्णतया विपरित है। अपीलांट को विचारण न्यायालय न तो सम्यक तामील हुई, न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। इसके विपरित विधिक प्रावधानों की अवहेलना कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचाराधीन निर्णय की अपीलांट को जानकारी नहीं थी। जानकारी से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। न्यायहित में अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में उभयपक्ष की सहमति से आवेदन विड्रा किया गया था। दिनांक 09.12.2019 को उभयपक्ष के अधिवक्तागण को नोटेड करवाकर आवेदन पुनः नम्बर पर लिया गया है। विचाराधीन निर्णय की पालना हो चुकी है। निर्णय की पालना में अपीलांट के अलावा अन्य सभी खातेदारों की प्रतिकर राशि प्राप्त कर ली है। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी थी। अपीलांट की अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। स्थगन की आड़ में अपीलांट ने सम्पूर्ण रास्ते को बंद कर रेस्पोडेन्ट को परेशान कर रखा है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को विचारण न्यायालय में सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की पूर्व से जानकारी हो ऐसा कोई साक्ष्य रेस्पोडेंट ने प्रस्तुत नही किया है। अत न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट आमीन द्वारा धारा 251ए का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 22.06.2018 को आमीन द्वारा यह आवेदन खारिज करवा लिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2018 को अप्रार्थी अपीलांट को नोटिस जारी कर सुनवाई किये बिना प्रार्थी आमीन के आवेदन पर प्रार्थना पत्र धारा 251ए को पुन नम्बर पर लेकर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना नही की गई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी।
सीकर

है। अपीलांट को विधि अनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 31/05/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर